रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, सितम्बर 22—सितम्बर 28, 2013, शनिवार/भाद्र 31—आश्विन 6, 1935
No. 39] NEW DELHI, SEPTEMBER 22—SEPTEMBER 28, 2013, SATURDAY/BHADRA 31—ASVINA 6, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2013

का॰आ॰ 1993.—केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं॰ 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य सरकार, गृह विभाग, रांची की अधिसूचना सं॰ 6/सीबीआई-604/2013/2609/दिनांक 25.06.13 द्वारा प्राप्त सहमति से झारखंड राज्य के लोक सेवकों एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा मैसर्स विनि आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड के पदाधिकारियों/निदेशकों, श्री नवीन कुमार तुल्स्यान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत सरकार के लोक सेवकों एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक (केंद्रीय और पूर्वी) आबंटन में कथित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सपठित धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत सीबीआई मामला सं॰ आरसी 219 2012 (ई) 0012, दिनांक 03.09.2012 में और उक्त मूल अपराधों में तथा उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों से संबंधित या उनसे सम्बद्ध अपराधों में किए गए प्रयासों, दुष्प्रेरणाओं और षडयंत्रों तथा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध या अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त झारखंड राज्य के सम्बन्ध में करती है।

[सं॰ 228/33/2013-एवीडी-II]
राजीव जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 10th September, 2013

S.O. 1993.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State

In the said First Schedule against "Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur" under the heading 'Recognized Medical Qualification' [in column (2)] and under the heading 'Abbreviation for Registration" [in column (3)], the following shall be inserted, namely :—

(2)	(3)
"Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery"	MBBS (This shall be a recognised medical qualification when granted by Rajasthan University of Helath Sciences, Jaipur in respect of students being trained at Geetanjali Medical College & Hospital, Udaipur, Rajasthan on or after February, 2013 with annual intake of 150 students per year.)

[No. U 12012/496/2007-ME(P-II)]
ANITA TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2013

का॰आ॰ 2011.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 की 102) की धारा 11 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है नामत: :—

उक्त प्रथम अनुसूची में ''मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता'' शीर्षक के तहत (कॉलम 2 में) और पंजीकरण के लिए संप्रेषण रूप के अंतर्गत (कॉलम 3 में) ''डॉ॰ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उत्तर प्रदेश)'' निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत: :—

2	3
''बैचलर ऑफ मेडीसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी''	एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ (यह प्रति वर्ष 100 एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ छात्रों के वार्षिक प्रवेश सहित अप्रैल, 2013 अथवा इसके बाद रामा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में डॉ॰ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।)

[सं॰ यू॰ 12012/336/2006–एमई (पी–II)]
अनीता त्रिपाठी, अवर सचिव

New Delhi, the 30th July, 2013

S.O. 2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the said First Schedule against "Dr. Bhim Rao Ambedker University, Agra (Uttar Pradesh)" under the heading 'Recognized Medical Qualification' [in column (2)] and under the heading "Abbreviation for Registration" [in column (3)], the following shall be inserted, namely:—

(2)	(3)
"Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery"	MBBS [This shall be a recognised medical qualification when granted by Dr. Bhim Rao Ambedker University, Agra (Uttar Pradesh) in respect of students being trained at Rama Medical College Hospital & Research Centre, Kanpur, Uttar Pradesh on or after April, 2013 with annual intake of 100 students per year on or after April, 2012].

[No. U. 12012/336/2006-ME(P-II)]
ANITA TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2013

का॰आ॰ 2012.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है नामत: :—

उक्त अनुसूची में–

(क) ''मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (मानित विश्वविद्यालय), कर्नाटक'' के सामने 'मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता' [इसके आगे कॉलम (2) के रूप में संदर्भित] के अंतर्गत शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संप्रेषण' [इसके आगे कॉलम (3) के रूप में संदर्भित] के अन्तर्गत अंतिम प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–